भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-512
उत्तर देने की तारीख-04/02/2026

विद्यालयों में सुरक्षा संबंधी लेखापरीक्षा

512 **श्री संदोष कुमार पी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय सुरक्षा संहिताओं और आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के अनुरूप विद्यालयों एवं बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक सुविधाओं के भवनों की सुरक्षा लेखापरीक्षा कराने का निर्देश दिया है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) इन लेखापरीक्षाओं के दौरान आकलित किए जाने वाले प्रमुख मापदंडों, मानक सुरक्षा नवाचार तथा आपातकालीन तैयारी से संबंधित किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और ज़्यादातर स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश सलाह के तौर पर होती हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आशा की जाती है कि वे उन्हें लागू करें और वे अपनी विशेष ज़रूरतों के हिसाब से उनमें बदलाव/संशोधन कर सकते हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने 26 जुलाई 2025 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निदेश दिया है। यह दिनांक 01.10.2021 को जारी "स्कूल संरक्षा और सुरक्षा दिशानिर्देश" (2021) और दिनांक 27.02.2017 को जारी स्कूल सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश (एनडीएमए, 2016) से संबंधित है और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता के अनुसार स्कूलों और छात्रों से संबंधित सुविधाओं की सुरक्षा लेखापरीक्षा , आपातकालीन तैयारी के लिए कर्मचारियों और छात्रों को प्रशिक्षण, और काउंसलिंग और पीयर नेटवर्क के माध्यम से मनोवैज्ञानिक सहायता की व्यवस्था शामिल है। मंत्रालय ने शिक्षा विभागों, स्कूल बोर्डों और संबंधित प्राधिकारियों से इन उपायों को लागू करने में बिना किसी देरी के कार्रवाई करने का आग्रह किया है। निदेश नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध हैं: https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/ss2607.pdf

इसी क्रम में, शिक्षा मंत्रालय ने 7 अगस्त 2025 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिया है कि वे स्कूल की इमारतों की अवसंरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करें और सुरक्षात्मक लेखापरीक्षा के ज़रिए असुरक्षित और जर्जर स्कूल की इमारतों की तुरंत पहचान करें, जिसके बाद, अगर ज़रूरी हो तो उन्हें गिरा दिया जाए या संरचनात्मक रूप से असुरक्षित ढांचों की मरम्मत की जाए, और जब तक उन्हें सुरक्षित प्रमाणित न किया जाए, तब तक उनका इस्तेमाल रोक दिया जाए। अधिकारियों को सलाह दी गई है कि

जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ अस्थायी स्कूल की व्यवस्था करें, गिराने से बनी जगह का सही इस्तेमाल करें, नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें, और किसी भी दोबारा इस्तेमाल के लिए सुरक्षा/ संरचनात्मक फिटनेस कंप्लायंस सर्टिफिकेशन सुनिश्चित करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऊपर बताए गए उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। ये निदेश इस लिंक पर उपलब्ध हैं: https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/ss07008.pdf

इससे पहले, भारत सरकार ने स्कूलों में छात्रों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो नीचे दिए गए हैं: -

1. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा दिनांक 01.10.2021 को स्कूल सुरक्षा और संरक्षा संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए।ये दिशानिर्देश डीओएसईएल की वेबसाइट https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/2021-10/guidelines_sss.pdf पर अपलोड किए गए हैं।

2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए, 2016) द्वारा स्कूल सुरक्षा नीति संबंधी दिशा निर्देश दिनांक 27.02.2017 को जारी किए गए। ये दिशा निर्देश नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध हैं: https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/rte/Guidelines_feb.pdf

3. एनसीपीसीआर ने अलग-अलग दिशा निर्देशों की जांच और संकलन करके एक व्यापक नियमावली तैयार की, जिसका नाम है- "स्कूलों में छात्रों की संरक्षा और सुरक्षा संबंधी नियमावली", दिनांक 26.02.2018। यह नियमावली नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध है: https://ncpcr.gov.in/uploads/165604923562b54e531fe87_manual-on-safety-and-security-of-children-in-schools-sep-2021-2465-kb.pdf

इन दिशा निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों में छात्रों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने और अलग-अलग हितधारकों और विभागों की जवाबदेही तय करने के प्रावधान शामिल हैं।

इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य सुरक्षित स्कूल वातावरण के लिए हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाना, मौजूदा सुरक्षा नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, कार्यान्वयन में भूमिकाओं को स्पष्ट करना, स्कूल की गतिविधियों और यातायात के दौरान छात्रों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही तय करना और लापरवाही के विरुद्ध सख्त 'जीरो टॉलरेंस पॉलिसी' लागू करना है।

एनडीएमए के दिशा निर्देशों में कुछ विशेष गतिविधियों और पैमानों पर स्कूल सुरक्षा नीति संबंधी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों को लागू करने की निगरानी का प्रावधान है, जैसे सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन तैयारियों के संबंध में सुरक्षा लेखा परीक्षा करना, वार्षिक मॉक ड्रिल, फायर-एक्सटिंग्विशर लगाना, स्कूल सुरक्षा और आपदा तैयारियों में छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, ज्वलनशील और जहरीले पदार्थों के भंडारण के संबंध में सुरक्षा मानदंडों का पालन करना और केवल उन्हीं स्कूलों को मान्यता प्रमाण पत्र देना जो विशेष रूप से अग्नि सुरक्षा से संबंधित संरचनात्मक सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हैं।
